उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं0 दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
(निकट– ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड़) निम्बूवाल, गढ़ीकैन्ट, देहरादून)
दूरभाषः 0135–2559898,E-mail, tourismkarmik@gmail.com

संख्या– 196 /2–2–630/2020–22 **देहरादून दिनांकः 12 अप्रैल, 2022**

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड (यू0टी0डी0बी0) साहसिक विंग के तहत निम्नलिखित पद के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 16 मई, 2022 सांय 05:00 बजे तक उपरोक्त पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते है।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनबैण्ड/संशोधित वेतन मैट्रिक्स	पदों की संख्या	नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यतां
1	2	3	4	5
1	उप निदेशक साहसिक खेल	लेवल– 11 (67000–208700)	01	वेतन लेवल–11 पर सरकारी/अर्द्धसरकारी अधिष्ठानो या सेना/अर्द्धसैनिक बलों में सेवारत अधिकारी साथ ही अधीनस्थ पद के लिए न्यूनतम 4 वर्ष के अनुभव के साथ वेतन लेवल– 10 ।

प्रतिनियुक्ति हेतु अन्य शर्तें एवं अनुभव–

1–उक्त पद हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी अधिष्ठानो अथवा सेना/अर्द्धसेना में वेतन लेवल–11 में कार्यरत अधिकारी जिन्हें अधीनस्थ पद वेतन लेवल–10 में न्यूनतम 04 वर्ष का कार्य अनुभव हो, उक्त पद पर आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे।

2–उपरोक्त पदं हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी अधिष्ठानो अथवा सेना/अर्द्धसेना में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिन्होने उक्त पद पद निर्धारित परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो, उपरोक्त पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती के पात्र होंगे।

3–आवेदक को समस्त शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र, उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित/योजित न होने व उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/विजिलेन्स जांच लम्बित/प्रचलित न होने का प्रमाण–पत्र तथा पिछले पांच वर्ष (पांच वर्ष से कम सेवाकाल होने की स्थिति मे सम्पूर्ण सेवाकाल) की चरित्र प्रविष्टियां आवेदन–पत्र के साथ अवश्य संलग्न करनी होगी।

4–उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले उत्तराखण्ड के निवासी आवेदकों को वरीयता दी जायेगी।

5–सम्बन्धित अधिकारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति मे किसी भी समय प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर दी जायेगी।

6–सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती स्थान पर साक्षात्कार/कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारी को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

8–प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जायेगी तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिये होगी, यदि किसी कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो उक्त अवधि से पूर्व ही उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस लौटाया जायेगा।

9–प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक अधिकारी अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रणाली से अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (कार्मिक अनुभाग), पं0 दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन, (निकट–ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड़), निम्बुवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून–248001 के पते पर दिनांक–16.05.2022 सायं 5:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते है, अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधीन साहसिक पर्यटन विंग हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक साहसिक खेल के पद, हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप–

1	अभ्यर्थी का नाम					स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो
2	पिता का नाम					
3	आवेदित पद का नाम					
4	स्थायी पता					
5	पत्र व्यवहार का पता					
6	जन्मतिथि					
7	मोबाईल नम्बर					
8	ई–मेल आई0डी0					
9	पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
10	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी अधिष्ठानों अथवा सेना/अर्द्धसेना में से सम्बन्धित विभाग मे समान पद एवं समान वेतनमान में कार्य करने का अनुभव	विभाग/संस्थान का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स/लेवल	कब से कब तक	कुल सेवा अवधि (वर्ष,माह,दिन)
11	अनुभव–					
12	साहसिक खेल गतिविधियों से सम्बन्धित अनुभव–					

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..यह घोषणा करता/करती हूँ, कि उक्त अंकित एवं संलग्न समस्त सूचनायें मेरे/मेरी जानकारी में सही/सत्य हैं। मुझ से कोई भी जानकारी/तथ्य छुपाया नहीं गया/गयी है, और नहीं मेरे विरूद्ध कोई विभागयी दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है, और नही कोई जाँच गतिमान है। यदि भविष्य में विभाग को उक्त जानकारी/तथ्य गलत पाया जाता है, तो विभाग द्वारा मेरा अभ्यार्थन निरस्त करते हुए, जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे सर्वमान्य होगा/होगी।

दिनांक–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　हस्ताक्षर

स्थान–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　नाम एवं पता